

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत

मण्डौला विहार योजना (दिल्ली-सहारनपुर रोड)

गाजियाबाद के सेक्टर-7 में सुपर डीलक्स बहुमंजिले फ्लैट्स प्राप्त करने का

पंजीकरण अवधि :
15 सितम्बर, 2015 से
30 अक्टूबर, 2015 तक

सुनहरा अवसर



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी-मार्ग, लखनऊ.


Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in





मण्डोला विहार योजना

- ✱ मण्डोला योजना तक मेट्रो प्रस्तावित है ।
- ✱ परियोजना दिल्ली सहारनपुर राज्य मार्ग से मात्र 300 मी. दूर पर है ।
- ✱ अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई.एस.बी.टी.) 15 किमी. दूर ।
- ✱ लोनी रेलवे स्टेशन से 05 किमी. की दूरी पर है ।
- ✱ यू.पी.एस.आई.डी.सी. की ट्रानिका सिटी के समीप है ।
- ✱ दिल्ली की सीमा से मात्र 02 किमी. दूर है ।
- ✱ सिग्नेचर ब्रिज से सीधा सम्पर्क मार्ग ।



PLAN SHOWING THE PROPOSED SITE AT SECTOR- 7A



AERIAL VIEW

मूल्य : ₹ 476 + 24/- (वैट चार्ज सहित)

निज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए सम्पर्क करें
परिषद हेल्पलाइन नम्बर : 1800-180-5333 (टोल फ्री)
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।



मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद





2 BHK CLUSTER PLAN





2 BHK UNIT PLAN



2 BHK UNIT PLAN

2 BED ROOMS, 2 TOILETS,
2 BALCONIES

UNIT AREA = 64.47 SQM.
SUPER AREA = 79.16 SQM.

2 BHK ISOMETRIC VIEW





2 BHK + Study CLUSTER PLAN



2 BHK + Study UNIT PLAN



2 BHK + STUDY UNIT PLAN

2 BED ROOMS, 1 STUDY, 2 TOILETS,
3 BALCONIES

UNIT AREA = 80.25 SQM.
SUPER AREA = 94.93 SQM.



2 BHK + STUDY ISOMETRIC VIEW





3 BHK CLUSTER PLAN





3 BHK UNIT PLAN



3 BHK UNIT PLAN

3 BED ROOMS, 2 TOILETS,
3 BALCONIES

UNIT AREA = 88.75 SQM.
SUPER AREA = 103.43 SQM.

3 BHK ISOMETRIC VIEW





SITE PLAN

- 1 ENTRY
- 2 EXIT
- 3 SURFACE PARKING
- 4 GUARD ROOM
- 5 GARBAGE COLLECTION CENTRE
- 6 D.G. SET / TRANSFORMER
- 7 BORE HOLE / TUBEWELL



- 3 BHK
- 2 BHK + STUDY
- 2 BHK
- CLUB
- B+S+14
- B+S+16
- B+S+16
- B+G+3

एक परिचय

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।



(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 में बहुमंजिली आवासीय परियोजना में 2बी0एच0के0, 2 बी0एच0के0+स्टडी एवं 03बी0एच0के0 के कुल 1856 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स का विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत है :-

फ्लैटों का विवरण

क्रम सं.	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	मंजिले	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	सुपर एरिया (वर्ग मी.)	भवनों की संख्या	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु. में)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. में)	कुल अनुमानित मूल्य 08 त्रैमासिक किशतों की धनराशि (रु. लाख में)
1.	2 बी.एच.के.	F-1	Stilt+16	64.47	79.16	952	32.95	66000.00	428200.00	350100.00
2.	2 बी.एच.के. + स्टडी	F-2	Stilt+16	80.25	94.93	572	39.50	79000.00	513400.00	419700.00
3.	3 बी.एच.के.	F-3	Stilt+14	88.75	103.43	332	43.00	86000.00	559000.00	456875.00

नोट : तल की वरीयता हेतु बनाये गये ग्रुप का विवरण :

2 बी.एच.के. एवं 2 बी.एच.के. + स्टडी	ग्रुप ए तल सं. 1 से 3 तक	ग्रुप बी तल सं. 4 से 7 तक	ग्रुप सी तल सं. 8 से 12 तक	ग्रुप डी तल सं. 13 से 16 तक
3 बी.एच.के.	ग्रुप ए तल सं. 1 से 3 तक	ग्रुप बी तल सं. 4 से 7 तक	ग्रुप सी तल सं. 8 से 12 तक	ग्रुप डी तल सं. 13 से 14 तक

आवेदक अपनी सहमति किन्हीं दो ग्रुप हेतु आवेदन पत्र में अंकित कर सकता है तथा ग्रुप ए में प्रथम तल पर 3 प्रतिशत, द्वितीय तल पर 2 प्रतिशत, तृतीय तल पर 1 प्रतिशत पी.एल.सी. देय होगी।



फ्लैट्स की विशिष्टियाँ

स्ट्रक्चर : अतिप्रभावशाली आधुनिक, भूकम्परोधी आर०सी०सी० शियर वॉल तकनीकी पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण

फर्श : बैडरूम / ड्राइंग रूम / डायनिंग लॉज में विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन।

किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाईट, फर्श पर एन्टीस्कड सेरेमिक टाइल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।

टॉयलेट : फर्श पर एन्टीस्कड एवं दीवारो पर सेरेमिक टाइल्स, एक टॉयलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टेप फिटिंग्स।

चौखट : सीजनड मलेशियन सालवुड की चौखट।

दरवाजे : फ्लैटस में मुख्य द्वार पर डिजाईनर फिनिश फ्लश डोर व अन्य समस्त आन्तरिक फ्लश डोर।

खिडकियाँ : यू-पी०वी०सी० विण्डों, प्लेन टफण्ड ग्लास एवं वायरमेश जाली हेतु स्लाईडिंग शटर्स के साथ।

रंग रोगन : समस्त प्रकार के फ्लैटस में भीतरी दीवारो व छत पर आर्गल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा अन्य भवनो के ऑयल बाउण्ड पेन्ट तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग, दरवाजो पर इनेमल पेन्ट / पालिश।

जलापूर्ति : सभी फ्लैटस हेतु छत पर आर०सी०सी० का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज की सुविधा।

विद्युत : अग्निरोधक पी०वी०सी० कॉपर कन्सीलड वायरिंग व पावर व ए०सी० प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैंकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी०वी० एवं फोन साकेट व एम०सी०बी०।

स्टेयरकेस : कोटा स्टोन, फ्लोरिंग एवं एम०एस० रेलिंग।

डोर फिटिंग्स : स्टेनलेस स्टील / गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

अन्य प्राविधान :-

- 1 इन्टरकॉम व टेलीफोन / इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।
- 2 मुख्य दरवाजे पर नाईट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- 3 प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।
- 4 वाशिंग मशीन के लिए अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।
- 5 सामुदायिक केन्द्र / क्लब का प्राविधान।

नोट:- उक्त आंकलित मूल्य के अतिरिक्त आवंटियों को निम्न चार्जेज और देने होंगे:-

1. **पावर बैकअप (अनिवार्य)** 2 बी0एच0के0 भवनो हेतु 3 के0वी0ए0 एवं 2 बी0एच0के0 + स्टडी एवं 3बी0एच0के0 भवनो हेतु 4 के0वी0ए0 पावर बैकअप हेतु रू0-35000.00 प्रति के0वी0ए0 की दर से अतिरिक्त धनराशि ।
2. **कार पार्किंग चार्जेज (अनिवार्य)** कार पार्किंग हेतु प्रति फ्लैट प्रति कार रू0-1.00 लाख ओपन पार्किंग एवं-2.25 लाख क्लोज रिस्टल्ट पार्किंग तथा रू0-2.00 लाख बेसमेन्ट पार्किंग हेतु अनिवार्य रूप से देना होगा ।
3. **क्लब चार्जेज (अनिवार्य)** परिसर में सामुदायिक केन्द्र, जिम एवं स्वीमिंग पूल हेतु प्रति फ्लैट हेतु रू0-50000.00 सदस्यता शुल्क देना होगा ।
4. **प्रीमियर लोकेशन चार्जेज (अनिवार्य)** प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल के भवनो से प्रीमियर लोकेशन चार्जेज के रूप में क्रमशः भवन की लागत का 3 प्रतिशत 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत देना होगा ।

आवश्यक वितरण

1. प्रत्येक टावर हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रान्सफार्मर एवं फ्लैट्स एवं अन्य कॉमन सुविधाओ जैसे-लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है ।
2. बाउन्ड्रीवॉल, गार्ड रूम, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक सेवाओ के लिए भी प्राविधान किया गया है ।
3. फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं रैनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है ।
4. उपरोक्त इंगित मूल्य अनुमानित है । फ्लैट्स का निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा, जिसके अनुसार निर्धारित किशतो में धनराशि घट-बढ सकती है । भवनो के वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणो जैसे-भवन निर्माण, सामग्री की बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर निर्धारित मूल्य में आंशिक बढोत्तरी सम्भव है ।
5. फ्लैट्स की टाईप डिजाईन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है ।
6. प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य क्रमशः 3, 2 एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा ।
7. उपलब्ध कार पार्किंग स्पेस आवंटियों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे ।
8. प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा ।



9. परिसर का रख-रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियों द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी का गठन करते हुए उसके द्वारा रख-रखाव कराया जाएगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
10. प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व "कार्पस फण्ड" में 2 बी0एच0के0 के आवंटी से रू0-75000.00, 2बी0एच0के0+स्टडी के आवंटी से रू0-100000.00 एवं 3बी0एच0के0 के आवंटी से रू0-125000.00 एकमुश्त अतिरिक्त देना होगा।
11. परिसर की सामान्य सेवाये जैसे-लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैटस के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रति माह भवनो के अनुसार सुपर प्लिंथ एरिया के अनुसार रू0-2.00 प्रति वर्गफिट की दर से रख-रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसाइटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।
12. योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओ के मेन्टीनेन्स का कार्य एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसाइटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख-रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित अपने श्रोतो से वहन करना होगा।
13. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सर्विस टैक्स स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।
14. भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। भवन का कब्जा मूल्यांकन स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत मूल्यांकन एवं मूल्यांकन स्वीकृत में अन्तर धनराशि एक माह के अन्दर जमा करनी होगी तथा उ0प्र0 शासन के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादन के उपरान्त दिया जायेगा।

पंजीकरण हेतु पात्रता

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
4. गाजियाबाद नगर में कोई भी भवन/भूखण्ड आवेदित परिवार जिसमें पति-पत्नी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित है, नहीं होना चाहिए।

पंजीकरण के नियम

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क़य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। पति-पत्नी द्वारा एकल नाम से अथवा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है परन्तु विशेषतः पति-पत्नी द्वारा अलग-अलग आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर भरकर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के एक वर्ष बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 7 यदि किन्ही कारणो से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियो की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।



- 8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका

- 1 पुस्तिका में अंकित विकल्प के अनुसार भवन का भुगतान किया जाना होगा।
- 2 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद परियोजना 2015" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।
- 6 आवंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर सम्बन्धित विभाग से स्वयं लेना होगा।

आवंटन नियम :

- 1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

- 3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदको की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटों की उपलब्ध की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदको की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी। तलो का निर्धारण लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं लाटरी ड्रा द्वारा जो भवन आवंटित होगा उसकी वास्तविक मूल्यांकन का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- 5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।



आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटस में निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार के द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। उ०प्र० के विद्यमान के उपरान्त केवल उ०प्र० सरकार के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को कोई सुविधा अनुमन्य नहीं है।
5	उ०प्र० सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इसमें विकलांगता का प्रतिशत अवश्य अंकित होना चाहिए। नेत्रहीन आवेदकों को उक्त में से शासनादेशों के अनुपालन में 01 प्रतिशत का आरक्षण देय है।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषद आदेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को 45 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट में बैंक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 2 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 3 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 4 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू०-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।
- 8 सम्पत्ति का पात्रता ड्रा की तिथि पर लागू भूमि दर के आधार पर आगणित होगा। सम्पत्ति के तल के अनुसार अधिकतम अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर सम्भावित है। पुस्तिका में सूचित अनुमानित अधिकतम मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।



आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2 में दिये गये विवरण से समाजवादी योजना 1बी0एच0के0 अथवा 2बी0एच0के0 में से किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-7 पर उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
उ.प्र. राज्य के सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O

होरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

- 11 बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की स्व वित्त पोषित योजना 2015" जो गाजियाबाद / दिल्ली में देय होगा।
- 12 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। आवेदन पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र जिसमें फोटो के साथ पूर्ण पता अंकित हो (वोटर आई.डी., आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), बैंक ड्राफ्ट, निर्धारित शपथ पत्र व आरक्षण की दशा में आरक्षण प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर अवश्य संलग्न करें।
- 13 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना (केवल आवेदक का ही) बैंक एकाउण्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
- 14 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 15 अपूर्ण आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 16 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 17 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 18 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण पुस्तिका में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- 19 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।



मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन / फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण सुविधा अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। (उक्त का लाभ प्राप्त करने हेतु केवल उ.प्र. सरकार के जिलाधिकारी / अपर / उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।



रू०-10.00 के स्टम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद

शपथ पत्र/घोषणा पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त

- मै श्री / श्रीमती / कु० पुत्र / पत्नी उम्र
निवासी यह शपथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि:-
- 1 मैं उपरोक्त नामित एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं भारत का / की निवासी हूँ एवं मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
 - 2 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूंगा / दूंगी।
 - 3 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।
 - 4 मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
 - 5 मैं एतद्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये हैं तो परिषद को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।
 - 6 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।
 - 7 मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती जो रिश्ते में मेरे / मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती जो मेरे / मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंको की सूची

इण्डियन ओवरसीज बैंक

- सेक्टर-15, वसुन्धरा गाजियाबाद (नोडल शाखा), फोन : 0120-2880011, 2880055
- कौशाम्बी शाखा, गाजियाबाद, फोन : 0120-2773994
- नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, फोन : 0120-2790263
- एम-ब्लॉक, कनाट पैलेस, नई दिल्ली, फोन : 011-23416715
- यमुना विहार, शाखा दिल्ली, फोन : 011-22919077

पंजाब नेशनल बैंक

- सेक्टर-13, वसुन्धरा गाजियाबाद (नोडल शाखा), फोन : 0120-2882476
- अम्बेडकर मार्ग, शाखा गाजियाबाद, फोन : 0120-2713855
- राजनगर, गाजियाबाद, फोन : 0120-2823844
- नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, फोन : 0120-2790131
- अबूलेन मेरठ शाखा, मेरठ, फोन : 0121-2661183
- सेक्टर-18, नोएडा, फोन : 0120-4855002
- सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, फोन : 0120-2351125
- संसद मार्ग, नई दिल्ली, फोन : 011-23715060
- एन.आई.टी., फरीदाबाद शाखा, फरीदाबाद, फोन : 0129-2415674

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक
भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर भी नियत किये गये समय में उपलब्ध होगी किन्तु पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा स्वीकार होंगे।

नोट : असफल आवेदकों की धनराशि की वापसी नोडल शाखाओं द्वारा ही की जायेगी। नोडल बैंक शाखाओं द्वारा ही पंजीकरण पुस्तिका उपलब्ध कराई जायेगी। विस्तृत नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती हैं।



विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

अभियन्त्रण अनुभाग

1	अधीक्षण अभियन्ता, मण्डोला वृत्त, गाजियाबाद	08588877003
2	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड-38, मण्डोला गाजियाबाद	09654393330
3	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड-10, मण्डोला गाजियाबाद	08588877002
4	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड-22, मण्डोला गाजियाबाद	09810395391
5	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड-36, मण्डोला गाजियाबाद	09711206123

सम्पत्ति अनुभाग

1	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद	0120-2882025
2	अपर आवास आयुक्त मेरठ जोन, मेरठ	0121-2760415

Website: <http://www.upavp.com>

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 में बहुमंजिले फ्लैट के ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजनान्तर्गत चार मंजिले फ्लैट्स के ऑन-लाईन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा:-

प्रथम चरण (Step-1)

ऑन-लाईन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- 1 ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदन सर्वप्रथम परिषद वेबसाईट (www.upavp.com) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Home page) के लिंक (Online Registration For Flat) पर क्लिक करना होगा।
- 2 इसके पश्चात् खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Mandola Vihar Yojana, Ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
- 3 आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- 4 तत्पश्चात् उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारियाँ (Basic Information) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाईन फीड किये जायेंगे।
- 5 उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 6 "Submit" करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाईन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आईडी0 / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- 7 उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Print पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- 8 आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घंटे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदक शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

- Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
- Click on Link "Registraion Fee Payment" of Concerning scheme's webpage.
- Select Payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- Provide the required necessary details & click 'submit'.
- After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' webpage will be available.
- Applicant can choose anyone available option for making payment.



9 उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./ State Bank Collect Reference No./ Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट:—डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक “U P Avas Evam Vikas Parishad” के पक्ष में जोकि गाजियाबाद शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)

*MOPS : Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2)

अन्तिम रूप से ऑन-लाईन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाईट (www.upavp.com) के लिंक (Online Registration For Flats) पर जाकर सम्बन्धित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक (Submit Application Details) पर क्लिक किया जायेगा।
- (Login Panel) के अर्न्तगत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी0, पासवर्ड एवं (Journal No/ Reference No./ Transaction ID) भरकर अपना ऑन-लाईन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाईन आवेदन फार्म में अपना (Scanned) कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात् आवेदक द्वारा अपना ऑन-लाईन पंजीकरण फार्म (Recheck) करते हुए 'Submit' करना होगा।
- ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म (Finally Submit) कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात् रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कापी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी0 प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, जाति / आरक्षण प्रमाण पत्र, नोटरी शपथ पत्र आदि) सति निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे:—

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध
 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
 सेक्टर-16ए, आफिस काम्पलैक्स,
 हॉल नं0-एस-1, वसुन्धरा
 गाजियाबाद-201012

नोट:— उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रू0 500 /— देकर प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।



उ.प्र. आवास विकास परिषद मुख्यालय